न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, राज०

पीठासीन अधिकारी	:- **सुमन मीणा, आर.जे.एस.**
निय.फौज. प्र.सं.	:- **1508/2024**
सी०आई०एस० नं.	:- **1508/2024**
प्र.सू.रिपोर्ट सं०	:- **237/2024, थाना महिला, धौलपुर**

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, धौलपुर

---अभियोगी

बनाम

शाहरुख पुत्र निजाम खां, उम्र 24 साल, निवासी पुरानी तहसील के पास सैंपऊ थाना सैंपऊ, जिला धौलपुर।

---अभियुक्त

उपस्थितः-

01. **राज्य की ओर से**	- विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
02. **अभियुक्त की ओर से**	- विद्वान अधिवक्ता श्री शरीफ खान।

अपराध की दिनांक	27.07.2024	**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**	12.03.2025
प्र.सू.रि. की दिनांक	22.08.2024	**बहस अंतिम की दिनांक**	27.03.2026
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	08.11.2024	**निर्णय की दिनांक**	27.03.2026
आरोप विरचित करने की दिनांक	12.03.2025	**दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)**	-

फार्म "बी"

अभियुक्त का विवरणः-

क्र. सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की दिनांक**	**जमानत की दिनांक**	**अपराध धारा**	**दोषमुक्त या दोषसिद्ध**
1.	**शाहरुख**	-	-	85,316(2) बीएनएस	दोषमुक्त

फार्म "सी"

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्र.सं.	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
1.	हिना बानो	मुस्तगीसा व धारा 180 बीएनएसएस साक्षी
2.	युसुफ	फर्द पेशकशी दहेज सामान व फर्द अस्थायी सुपुर्दगी दहेज सामान व धारा 180 बीएनएसएस साक्षी
3.	सलमा	धारा 180 बीएनएसएस साक्षी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः- निल।

(स) न्यायालय साक्षीः- निल।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श पी.01	परिवाद
2.	प्रदर्श पी.02	मेडिकल ना कराने बाबत् तहरीर
3.	प्रदर्श पी.03	मोटरसाईकिल प्राप्त करने के बाबत् तहरीर
4.	प्रदर्श पी.04	फर्द अस्थायी सुपुर्दगी सामान दहेज
5.	प्रदर्श पी.05	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह हिना बानो
6.	प्रदर्श पी.06	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह युसुफ
7.	प्रदर्श पी.07	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह सलमा

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः- निल।

(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल।

(द) आर्टिकल की सूचीः- निल।

अपराध अन्तर्गत धारा 85, 316(2) बीएनएस।

-- निर्णय --

दिनांकः- 27.03.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया श्रीमती हिना बानो ने एक परिवाद इस न्यायायल में अभियुक्तगण शाहरुख व अन्य के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि परिवादिया की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से दिनांक 15.12.2021 को एस.के. गार्डन धौलपुर से शाहरूख पुत्र निजाम खाँ निवासी पुरानी तहसील के सामने सैपऊ थाना सैपऊ जिला धौलपुर के साथ सम्पन्न हुई थी। प्रार्थीया/परिवादिया के पिता ने प्रार्थीया/परिवादिया की शादी में अपनी सामर्थ के अनुसार दान दहेज में सोने-चांदी के आभूषण, कपडे, एक स्पेण्डर मोटरसाईकिल, नकदी, रंगीन एलईडी टीवी, एक वॉशिंग मशीन अन्य घर-गृहस्थी का सामान इत्यादि दिया था। शादी के बाद मुल्जिमान अतिरिक्त दहेज में एक कार विटारा ब्रीजा की मांग की। मुल्जिमानो की उक्त मांग पूरी ना होने पर उक्त सभी मुल्जिमानों ने एकराय होकर प्रार्थीया/परिवादिया को तंग व परेशान करना शुरू कर दिया तथा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया तथा खाना पीना समय पर नहीं देते थे, कमरे में बन्द कर देते थे और फटे कपडे पहनने को देते थे। इसी दर्मियान दिनांक 02.08.2022 को मुल्जिमानो ने गर्भावस्था में प्रार्थीया/परिवादिया के साथ थाप थप्पडो से मारपीट की व मारपीट करके दहेज की मांग के लिये मौहल्ला बाडा तेलियान बजरिया धौलपुर में छोड गये और दिनांक 01.09.2022 को पुनः उक्त सभी मुल्जिमानो ने प्रार्थीया/परिवादिया के घर पर

आकर के दहेज की मांग के लिये जान से मारने व तलाक की धमकी दी। उक्त घटना के लिये प्रार्थीया/परिवादिया ने उक्त थाना महिला धौलपुर पर मुल्जिमानों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 406, 498ए, आई पी सी एवं धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एफआईआर न0 248/2022 थाना महिला दर्ज कराई। मुल्जिमानो ने प्रार्थीया/परिवादिया के पिता से राजीनामा कर लिया कि अब हम दहेज में एक विटारा ब्रीजा कार की मांग नहीं करेगे, मारपीट, तंग व परेशान नहीं करेगे। इस बात के लिये शाहरूख ने एक शपथ पत्र/बचन पत्र लिखकर भी दिया और दिनांक 28.10.2022 को उक्त सभी मुल्जिमान प्रार्थीया/परिवादिया को अपने साथ ले गये। लेकिन उसके बाद उक्त सभी मुल्जिमान अपनी हरकतो से बाज नहीं आये और प्रार्थीया/परिवादिया से पुनः अतिरिक्त दहेज में एक विटारा ब्रीजा कार की मांग करने लगे। पंचायत जोडी तब पंचायत में भी उक्त सभी मुल्जिमानो ने एक विटारा ब्रीजा कार की मांग सबके सामने रखी और आज से करीब 4 माह पहले उक्त सभी मुल्जिमानो ने प्रार्थीया/परिवादिया को तंग व परेशान करके उसके साथ मारपीट करके दहेज में एक कार विटारा ब्रीजा की मांग के लिये प्रार्थीया/परिवादिया के साथ क्रूर व अमानवीय व्यवहार किया गया तंग व परेशान किया गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और प्रार्थीया/परिवादिया के पुत्र को उक्त सभी मुल्जिमानों ने जबरदस्ती छुडा लिया। तब से प्रार्थीया / परिवादिया अपने माता-पिता के यहाँ रह रही है। लेकिन दिनांक 27.07.2024 को उपरोक्त सभी मुल्जिमान एकराय होकर सुबह 10 बजे एक बोलेरो गाडी में बैठकर प्रार्थीया/परिवादिया के घर मौहल्ला बाडा तेलियान बजरिया धौलपुर में आये और आते ही घर के बाहर से उपरोक्त सभी मुल्जिमान एकराय होकर प्रार्थीया/परिवादिया व परिवारीजन से माँ बहिन की गालियाँ देने लगे। जब प्रार्थीया/परिवादिया के परिवारीजन घर से बाहर निकलकर आये और गालियों देने से मना किया, तो उपरोक्त सभी मुल्जिमान ने प्रार्थीया/परिवादिया के साथ लात घूंसो व थाप थप्पडो से मारपीट की और प्रार्थीया/परिवादिया व परिवारीजन से अतिरिक्त दहेज में एक विटारा ब्रीजा कार की मांग की और कहा कि जब तक उनकी ये कार की मांग पूरी नहीं करोगे, वह प्रार्थीया/परिवादिया को अपने साथ नहीं रखेगे और खाली हाथ हमारे घर पर प्रार्थीया/परिवादिया को छोडने के लिये आये, तो प्रार्थीया/परिवादिया को जान से मार देगे और अपने लडके की दूसरी शादी कर लेंगे। प्रार्थीया/परिवादिया ने जब अपना उपरोक्त स्त्रीधन मुल्जिमानो से मांगा तो मुल्जिमानो ने देने से इन्कार कर दिया और धमकियों देकर भाग गये। उस वक्त मौके पर काफी लोग मौजूद थे जिन्हौने घटना देखी है.....इत्यादि पर बाद सुनवाई उक्त परिवाद अनुसंधान हेतु पुलिस थाना महिला, धौलपुर धारा 175(3) बीएनएसएस में प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस थाना महिला, धौलपुर द्वारा मुकदमा संख्या 237/2024 अन्तर्गत धारा 85, 316(2), 115(2), 126(2), 352, 351(2) बीएनएस व 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना महिला, धौलपुर द्वारा अभियुक्त शाहरुख के विरूद्ध धारा 85, 316(2) बीएनएस में आरोप-पत्र पेश किया गया, जिस पर उक्त

अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के आरोपों में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्वीक्षा प्रारंभ की गयी।

2. अभियुक्त को धारा 85, 316(2) बीएनएस के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने विचारण परिवादिया व अभियुक्त के मध्य दिनांक 25.03.2026 को धारा 316(2) बीएनएस के अंतर्गत राजीनामा पेश किया गया, जिसे बाद जांच व अनुमति तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 316(2) बीएनएस के अपराध के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अब अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85 बीएनएस के विरूद्ध का विचारण करना शेष है।

4. अभियोजन की साक्ष्य उपरांत अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 351 बीएनएसएस लिये गये, तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

5. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त ने तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्त को गलत फंसाया गया है। अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग व क्रूरता परिवादिया के साथ नहीं की गई है। परिवादिया व अन्य गवाहान अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही हुए है, जिनकी साक्ष्य अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करती है और ना ही ऐसी कोई तात्विक साक्ष्य दी है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हों। ऐसे में पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने औपचारिक विरोध किया।

6. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

7. **प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु यह है किः-**

1. ***क्या अभियुक्त की मुस्तगीसा श्रीमती हीना बानो के साथ दिनांक 15.12.2021 को हुए निकाह के पश्चात् विभिन्न तिथियों पर उसके पति होते हुए उससे अतिरिक्त दहेज में एक कार विटारा ब्रीजा की मांग की एवं उक्त मांग पूर्ति के लिए मुस्तगीसा को शारीरिक एवं मानसिक रुप से तंग व परेशान कर मारपीट की एवं क्रूरुतापूर्ण व्यवहार करके उसे प्रताडित किया ?***

2. ***यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा ?***

8. इस प्रकार उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी

है। अब यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विवेचन किया जाये, तो प्रकरण में परिवादिया श्रीमती हीना बानो व अभियुक्त शाहरुख के मध्य विवाह होना स्वीकृत तथ्य है। प्रकरण की परिवादिया श्रीमती हिना बानो बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.01 के तौर पर परीक्षित हुई है और उसके द्वारा दिये गये सशपथ बयानों से उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 में वर्णित तथ्यों की ताईद नहीं हुई है। अपितु शादी के बाद स्वयं का अपने ससुराल में अच्छे ढंग से रहने व उससे किसी के द्वारा कोई दान-दहेज की मांग नहीं किये जाने का कथन किया एवं आगे गवाह ने घरेलू काम काज को लेकर उसका उसके पति से कहासुनी हो जाने पर वकील के जरिये मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है। स्वयं परिवादिया अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुई है और अभियोजन द्वारा जिरह करने पर गवाह ने अभियुक्त द्वारा उससे दहेज में एक कार विटारा ब्रिजा की मांग किये जाने के तथ्य से स्पष्ट रुप से इंकार किया है तथा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी-05 का ए से बी भाग पुलिस को देने से भी इंकार किया है। परिवादिया ने अभियुक्त द्वारा उससे किसी भी प्रकार से दहेज में एक कार विटारा ब्रिजा की मांग किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है और अभियुक्त से राजीनामा होना बताया है। इस प्रकार परिवादिया के कथनों से उसे अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार से दहेज में एक कार विटारा ब्रिजा की मांग को लेकर उसे तंग परेशान सामने नहीं आया है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.02 युसुफ व पी.ड.03 सलमा हैं जो कि परिवादिया के माता-पिता है, उन्होंने भी ऐसे ही सशपथ कथन न्यायालय में किये है तथा उनके कथनों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की हद तक कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है और यह गवाहान भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

9. प्रकरण में जिस अपराध का आरोप अभियुक्त पर है उसके संबंध में परिवादिया व उसके परिवारीजन ही प्रमुख व महत्वपूर्ण गवाह हो सकते थे परन्तु परिवादिया व उसके परिवारीजन के पक्षद्रोही होने से अभियोजन कहानी निष्फल हो जाती है। उक्त गवाहों के द्वारा दिये गये कथनों से परिवादिया से अतिरिक्त दहेज में एक कार विटारा ब्रिजा की मांग करना तथा उक्त दहेज की मांग को लेकर उसको तंग, परेशान किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होना भी स्वीकृत तथ्य रहा है।

10. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन यह युक्ति-युक्त साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त की मुस्तगीसा श्रीमती हीना बानो के साथ दिनांक 15.12.2021 को हुए निकाह के पश्चात् विभिन्न तिथियों पर उसके पति होते हुए उससे अतिरिक्त दहेज में एक कार विटारा ब्रीजा की मांग की एवं उक्त मांग पूर्ति के लिए मुस्तगीसा को शारीरिक एवं मानसिक रुप से तंग व परेशान कर मारपीट की एवं क्रूरुतापूर्ण व्यवहार करके उसे प्रताडित किया। फलतः अभियुक्त का किसी प्रकार से परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर

पाया है जिस कारण से अभियुक्त धारा **85 बी.एन.एस.** के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

- **आदेश** -

11. परिणामतः अभियुक्त **शाहरुख पुत्र निजाम खां, उम्र 24 साल, निवासी पुरानी तहसील के पास सैंपऊ थाना सैंपऊ, जिला धौलपुर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **85 बी.एन.एस.** में पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्त को पूर्व में धारा **316(2) बीएनएस** में जरिये **राजीनामा दोषमुक्त** किया चुका है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु धारा **481 बी.एन.एस.एस.** के तहत अभियुक्त **10,000/- रूपये** की राशि का स्वयं का मुचलका व इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति आगामी **छः माह** के लिये पेश कर तस्दीक करायें।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

12. निर्णय व आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.